

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-129/2024

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० पुजा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), सदर अस्पताल, सहरसा को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1133(17), दिनांक- 29.11.2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-01.11.2023 से 28.04.2024 तक कुल-180 दिनों का द्वितीय संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

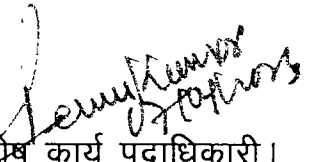
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-194/2024-14(17) पटना, दिनांक :- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, सहरसा/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० पुजा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), सदर अस्पताल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।